28

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

क्रमांकः प0 9(8)कार्मिक/क–5/90 जयपुर, दिनांक 22/09/2009

1–समस्त सम्भागीय आयुक्त।
2–समस्त जिला कलेक्टर्स।

:– आदेश –:

विषयः– पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार के अधीन सेवाओ मे नियुक्तियों और पदों में, तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी अनुदेश

उपरोक्त संबंध मे पूर्व में समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना सं. प.11(125) आर.एण्ड पी./एस.डब्ल्यू.डी./46631 दिनांक 27.8.93 द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित वर्गो के व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र हेतु इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.11.1993 में अधिकृत अधिकारी तथा तत्संबंधी अनुदेश उल्लेखित है तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कालम 3 में क्रिमीलेयर को उन 6 श्रेणी के व्यक्तियों/वर्गो को विनिर्दिष्ट किया गया था जिन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। उक्त अधिसूचना एवं परिपत्र के कम में विभिन्न स्पष्टीकरण भी समय समय पर इस विभाग द्वारा जारी किये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं मे सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 12) में पिछड़े वर्गो, विशेष पिछड़े वर्गो तथा आर्थिक पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त नवीन अधिनियम के अध्यधीन सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. प.11(164)आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.8.2009 के द्वारा पिछड़े वर्गो तथा अधिसूचना सं. प.11(164)आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/46855 दिनांक 25.8.2009 के द्वारा विशेष पिछड़े वर्गो की वर्ग/जातियाँ अधिसूचित की गई हैं तथा कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. प. 7 (8) कार्मिक/क–2/2008 दिनांक 25.8.2009 के द्वारा क्रिमीलेयर के दायरे में आने वाले पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों/वर्गो की 6 श्रेणियां अधिसूचित की गई हैं।

उक्त नवीन अधिनियम एवं अधिसूचनाओं के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये वे सभी अधिकारी (सूची संलग्न–परिशिष्ट 'क') यथावत प्राधिकृत रहेंगे जिन्हे पूर्व में पिछडे वर्ग (ओबीसी) के लिये इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.11.1993 के द्वारा प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। क्रिमीलेयर संबंधी पूर्व में समय समय पर जारी अन्य अनुदेश/निर्देश/स्पष्टीकरण/संशोधन आदि जो नवीन अधिसूचना को प्रभावित नहीं करते हैं वे यथावत रहेंगे।

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना स0प.7(8)कार्मिक/क–2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित क्रिमीलेयर के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण करने के उपरांत ही पिछड़े वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र (प्रपत्र संलग्न – परिशिष्ट ख–1,ख–2) जारी करना सुनिश्चित करें।

शासन सचिव

....कृ0पृ0उ0....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय,राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
6. समस्त, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर !
7. समस्त विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है .

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर !
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
5. निबंधक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर !
6. रक्षित पत्रावली !

शासन उप सचिव

परिशिष्ट "क"

पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर के न होने का प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों की सूची व अनुदेश

1. सम्भागीय आयुक्त / अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन / शहर) / सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
2. उस क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट जहाँ उम्मीदवार अथवा उसका परिवार रहता है।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार / नायब तहसीलदार से कम का न हो।

उक्त अधिकारियों में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग की सूची सम्बन्धी आदेश की अधिसूचना के समय जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्थाई निवास से सम्बन्धित होना चाहिए अर्थात् एक जिले का राजस्व अधिकारी किसी दूसरे जिले में रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम नहीं है।

राज्य सरकार के तद्सम्बन्धी अधिसूचना के अधिसूचित किये जाने की तारीख के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के मामले में पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग के माने जाने के प्रयोजन के लिए उनका निवास स्थान उक्त अधिसूचना की तारीख के समय उनके माता-पिता के स्थाई निवास स्थान है, जिनके अधीन वे पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग का होने का दावा करते है।

परिशिष्ठ 'ख–1'

प्रमाणित पासपोर्ट साइज
फोटोग्राम

रजिस्ट्रेशन सं..................... दिनांक

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नही होने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र *

यह प्रमाणित किया जाता है कि ;

1. श्री/श्रीमती/कुमारी_________________पुत्र/पुत्री _________ राजस्थान राज्य के जिला__________में ग्राम/नगर __________की निवासी हैं तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते है।

2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी_________________राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11(164)आर. एण्ड पी./एस.जे.ई.डी/09/47032 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से __________वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी_________________आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. प. 7(8)कार्मिक/क–2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

*(राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

परिशिष्ठ 'ख–2'

प्रमाणित पासपोर्ट साइज
फोटाग्राम

रजिस्ट्रेशन सं.....................   दिनांक

राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का होने तथा क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नही होने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र *

यह प्रमाणित किया जाता है कि ;

1. श्री/श्रीमती/कुमारी___________________________पुत्र/पुत्री ______________ राजस्थान राज्य के जिला_____________में ग्राम/नगर ____________की निवासी हैं तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहॉं स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते है।

2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी______________________________राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11(164)आर. एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/46855 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के विशेष पिछड़े वर्गो की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गो में से __________________वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी__________________________________आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. प. 7(8)कार्मिक/क–2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

*(राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)